30-6-23 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पो० सं० 1 बावजूद तामील अनु०। बार-बार आवाज दिलाई गई जिसके बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः रेस्पोडेन्ट सं० 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने

— 2 —

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बताया कि अपीलान्ट वृद्ध व्यक्ति है। अपीलान्ट
का वर्ष 2018 में हार्ट का ऑपरेशन
एवं आंखों का ऑपरेशन करवाया था।
रेस्पो. नं० अपीलान्ट का सगा भाई है।
अपीलान्ट व रेस्पो० सं 2 दोनों की माता
स्व० बरजी बेवा डूला के नाम राजस्व
रिकार्ड चला आ रहा था। उसके पश्चात
उनका स्वर्गवास हो गया। अपीलार्ट की
बिमारी का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट
सं 2 व 3 द्वारा तथ्य छुपाकर बटवारानामा
के दस्तावेजात पर हस्ताक्षर करवा लिए
एवं पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण सं
225 व 227 दिनांक 13-7-2018 को भरा
जाकर रेस्पो० सं । ने दिनांक 20-7-2018
को बिना जांच किये बटवारा नामा के
अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया
गया जो विधि विरुद्ध होने के कारण
खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट
स्वीकार कि जाकर नामान्तकरण सं 225
व 227 ग्राम हीरानगर को निरस्त फरमाया
जाकर उक्त भूमि पूर्व की भांति राजस्व
रिकार्ड में दर्ज कि जावे।

रेस्पोडेन्ट सं 2 व 3 को जरिए
नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं
2 व 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर
नामान्तकरण सं 225 व 227 को निरस्त
करने एवं राजस्व रिकार्ड पूर्व कि भांति
रिकार्ड में दर्ज करने बाबत सहमति
जताई। रेस्पोडेन्ट सं 2 व 3 के सहमति
बाबत आडेशिका पर अंगूठा निशानी
एवं हस्ताक्षर करवाये गये एवं पहचान
हेतु का. [illegible] फोटो प्रति ली
गई। अपी[illegible] तथ्यों को स्वीकार
करने एवं [illegible] व 227 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
[illegible] (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम
(नियम 26)

...............मुकाम...............

...............बनाम...............

...............नम्बर 23 वर्ष 2023

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	हीरा नगर को निरस्त कर रिकार्ड पूर्व कि भांति दर्ज करने हेतु सहमति दी जाने पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण सं 225 व 227 ग्राम हीरा नगर आदेश दिनांक 20-7-2018 तहसीलदार नीमकाथाना को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना को उक्त भूमि पूर्व की भांति राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी कि जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner